

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत होल्डिंग कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ शासन का एक उपक्रम)
(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

क्रमांक 01-04/पीडी-छ:/2631

रायपुर, दिनांक 07-8-2013

आदेश

पूर्ववर्ती मण्डल के परिपत्र क्रमांक संस.(का)/पीडी-3/1680 दिनांक 01.03.02, सहपठित क्रमांक 3564 दिनांक 27.09.04, क्रमांक 01-05/पीडी-तीन/1204 दिनांक 28.02.04, क्रमांक 01-04/पीडी-तीन/1343, क्रमांक 1345, दिनांक 25.03.08 एवं क्रमांक 01-04/पीडी-छ:/2478 दिनांक 30.07.13 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार पूर्ववर्ती मण्डल (वर्तमान में विद्युत कंपनियों) की सेवा में रहते हुए दिवंगत कर्मचारियों के आश्रित निम्नलिखित आवेदकों को अनुकंपा आधार पर प्रारंभिक तौर पर दो वर्ष के लिये कार्यभारित परिचारक श्रेणी-तीन (लाइन) के पद पर वेतनमान रू0 8050-225-10525-450-14575/- के प्रारंभिक वेतन रू0 8050/- (रूपये आठ हजार पचास) पर नियुक्त कर उन्हें उनके नाम के समक्ष दर्शित कार्यालयों में कार्य पर उपस्थित होने की तिथि से पदस्थ किया जाता है। उन्हें समय समय पर देय मंहगाई भत्ते एवं अन्य भत्तों की भी पात्रता होगी:-

क्र मां क	नाम सर्वश्री	पिता/पति का नाम (मृतक/अक्षम कर्मचारी का नाम)	कार्यालय जहाँ मृतक कर्मचारी पदस्थ था	कार्यालय जिसके अधीन पदस्थ किया जाता है
1	रिजवान कुरैशी	राहत मोहम्मद कुरैशी कार्या0सहा0श्रेणी-दो	संचा0/संधा0 संभाग महासमुन्द	मुख्य अभियंता (रा0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, रायपुर
2	अजय कुमार सिन्हा	विजय लाल सिन्हा परि0श्रे0-एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग कांकेर	मुख्य अभियंता (जग0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, जगदलपुर
3	श्री सुकनाथ मन्नेवार	ईतवारी सिंह मन्नेवार परि0श्रे0-दो (ला0)	संचा0/संधा0 संभाग चाम्पा	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, बिलासपुर
4	सूरज कुमार साव	रामकृष्ण साव भृत्य	संचा0/संधा0 संभाग कोरबा	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, बिलासपुर
5	हिमांचल प्रसाद	समारू सिंह राज ला0सहा0श्रेणी-दो	संचा0/संधा0 संभाग-एक रायगढ़	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, बिलासपुर
6	प्रकाश शर्मा	उमेश प्रसाद शर्मा सुरक्षा सैनिक	उपकेन्द्र संभाग बिलासपुर	उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर
7	कुमार सहिस	भगेला राम सहिस परि0श्रेणी-दो (सि0)	सिविल संभाग भिलाई	उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर
8	राजकुमार साहू	बाबूराम साहू ला0सहा0श्रेणी-दो	संचा0/संधा0 संभाग भिलाई	कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, दुर्ग
9	नैनसिंह	मुरीत राम गोंड परि0श्रेणी-एक (ला)	संचा0/संधा0 संभाग सक्ती	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, बिलासपुर
10	बुदरू	फरसू राम परि0श्रेणी-तीन (ला)	संचा0/संधा0 संभाग जगदलपुर	मुख्य अभियंता (जग0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, जगदलपुर
11	सुपेन्द्र कुमार	माली राम नाग परि0श्रेणी-एक (ला)	संचार संभाग भिलाई	उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर
12	कार्तिक सिंह	सरजू सिंह राजपुत परि0श्रे0-दो (ला0)	संचा0/संधा0 संभाग मुंगेली	मुख्य अभियंता (बि0क्षे0) छ0रा0वि0वि0कं0मर्या0, बिलासपुर
13	विक्रम घोराई	सुकुमार घोराई परि0श्रेणी-एक (ला)	अ0उ0दा0 संधारण संभाग भिलाई	उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0वि0पारे0कं0मर्या0, रायपुर

(Handwritten signature)

14	हेमंत कुमार कासेवार	प्रकाश कुमार कासेवार भृत्य	अधी०यंत्री (परी०/संचार) वृत्त भिलाई	उप महाप्रबंधक (मा०सं०), छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायपुर
15	रघुवीर प्रसाद पटेल	रामेश्वर प्रसाद पटेल परि०श्रेणी-दो (ला)	संचा०/संधा० संभाग रायपुर	मुख्य अभियंता (रा०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, रायपुर
16	नारायण प्रसाद साहू	मुकुंद राम साहू सुरक्षा सैनिक	संचा०/संधा० संभाग बालोद	कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, दुर्ग
17	राजेश कुमार कर्ष	भरत लाल कर्ष परि०श्रेणी-एक (ला)	संचा०/संधा० संभाग बलौदाबाजार	मुख्य अभियंता (रा०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, रायपुर
18	लोकाेश्वर कुमार	मनीलाल चन्द्रवंशी परि०श्रेणी-तीन (ला)	संचा०/संधा० संभाग डोंगरगांव	मुख्य अभियंता (राज०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, राजनांदगांव
19	मुकेश कुमार वर्मा	पवन कुमार वर्मा दफ्तरी	कर्मशाला संभाग भिलाई	उप महाप्रबंधक (मा०सं०), छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायपुर
20	रूपेश कुमार मेश्राम	शकुन्तला मेश्राम फर्सास	शहर संभाग-दो बिलासपुर	मुख्य अभियंता (बि०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, बिलासपुर
21	अंकुर तिवारी	अशोक कुमार तिवारी प्रबंधक	कार्यपालक निदेशक (वित्त) पारे० कं० रायपुर	मुख्य अभियंता (रा०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, रायपुर
22	मुकेश कुमार	भुखन लाल यादव परि०श्रे०-एक (ला)	संचा०/संधा० संभाग बेमेतरा	कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, दुर्ग
23	विनोद कुमार	मंगलू राम यादव भृत्य	संचा०/संधा० संभाग बेमेतरा	कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, दुर्ग
24	प्रेमदास	सावन दास परि०श्रेणी-एक (ला)	अ०उ०दा० संधा० संभाग बिलासपुर	उप महाप्रबंधक (मा०सं०), छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायपुर
25	अश्वनी कुमार साहू	मनसुख राम साहू परि०श्रे०-एक (ला)	संचा०/संधा० संभाग धमतरी	मुख्य अभियंता (रा०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, रायपुर
26	संदीप तिकी	सिमोन तिकी परि०श्रे०-एक (ला)	संचा०/संधा० संभाग पथलगांव	मुख्य अभियंता (बि०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, बिलासपुर
27	सूरज कुमार विश्वकर्मा	कन्हैया लाल भृत्य	एमआरटी संभाग-1 रायपुर	उप महाप्रबंधक (मा०सं०), छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायपुर
28	पुस्पेन्दर सिंह	केशव सिंह परि०श्रेणी-एक (ला)	अ०उ०दा० संधा० संभाग बिलासपुर	उप महाप्रबंधक (मा०सं०), छ०रा०वि०पारे०कं०मर्या०, रायपुर
29	ललित कुमार	आशा राम पैकरा परि०श्रेणी-दो (ला)	संचा०/संधा० संभाग कोरबा	मुख्य अभियंता (बि०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, बिलासपुर
30	युधिष्ठिर	चोवाराम परि०श्रेणी-एक (ला)	संचा०/संधा० संभाग भिलाई	कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, दुर्ग
31	नीरज कुमार	नारद प्रसाद परि०श्रेणी-एक (ला)	शहर पूर्व संभाग भिलाई	कार्यपालक निदेशक (दुर्ग क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, दुर्ग
32	अनिल सिंह राजपूत	भरत सिंह ठाकुर परि०श्रेणी-एक (ला)	शहर पूर्व संभाग रायपुर	मुख्य अभियंता (रा०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, रायपुर
33	मनीराम सिदार	रामचरण राम परि०श्रेणी-एक (ला)	संचा०/संधा० संभाग अंबिकापुर	मुख्य अभियंता (अंबि०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, अंबिकापुर
34	हेमलाल सूर्यवंशी	रामचरण सूर्यवंशी ला०सहा०श्रेणी-दो	संचा०/संधा० संभाग बिलासपुर	मुख्य अभियंता (बि०क्षे०) छ०रा०वि०वि०कं०मर्या०, बिलासपुर

अनुकंपा के आधार पर नियुक्त उपरोक्त आवेदकों को दो वर्ष की लगातार संतोषप्रद सेवा पूर्ण करने के पश्चात चयन समिति द्वारा नियमित नियुक्ति हेतु विचार किया जायेगा ।

यह नियुक्ति कंपनी द्वारा समय-समय पर विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 79(सी)/विद्युत अधिनियम 2003 के अंतर्गत निर्धारित किये गये नियमों एवं शर्तों द्वारा नियंत्रित होंगी साथ ही इस संबंध में निर्दिष्ट नियमों के अलावा अन्य सभी प्रकरणों में यह नियुक्ति किसी भी पक्ष की

[Handwritten Signature]

ओर से एक माह की सूचना अथवा उसके बदले में सभी भत्तों सहित एक माह के वेतन का भुगतान करने पर समाप्त की जा सकती है।

राज्य शासन/केन्द्रीय शासन अथवा किसी अन्य विभाग द्वारा जारी कोई परिपत्र अथवा ज्ञापन कंपनी द्वारा ग्राह्य किये जाने पर अथवा उनके कंपनी पर लागू होने की स्थिति में वे नियम उम्मीदवारों को बाध्यकारी होंगे।

नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवारों पर पूर्ववर्ती मंडल की अधिसूचना क्रमांक 01-01/47 दिनांक 05.09.07 के अनुसार नवीन अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

May
उप महाप्रबंधक (मा0सं0)-दो
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर
रायपुर, दिनांक 07-8-2013

क्रमांक 01-04/पीडी-छ:/ 2632

प्रतिलिपि:-

- (1) कार्यपालक निदेशक () छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित
- (2) मुख्य अभियंता () छ0रा0वि0..... कंपनी मर्या0
- (3) महाप्रबंधक (.....) छ0रा0 विद्युत वितरण/होलिडिंग कंपनी मर्यादित रायपुर।
- (4) अति0 महाप्रबंधक (मा0सं0) छ0रा0 विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित रायपुर।
- (5) उप महाप्रबंधक (मा0सं0), छ0रा0 विद्युत पारेषण कंपनी मर्यादित रायपुर।
- (6) अधीक्षण यंत्री (.....) छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित
- (7) कार्यपालन यंत्री (.....) छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित
- (8) वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित
- (9) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध अध्यक्ष छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित, रायपुर।
- (10) स्टाफ आफिसर सम्बद्ध प्रबंध निदेशक छ0रा0 विद्युत कंपनी मर्यादित, रायपुर।
- (11) श्री


को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

टीप :- मुख्य अभियंता (EITC) कृपया इस आदेश को विद्युत कंपनी की अधिकारिक वेबसाईट में प्रकाशित करें।

2. उपरोक्त उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत मूल आवेदन पत्र संलग्न प्रेषित हैं, जिसे उनके कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर लिया जावे। जन्मतिथि का मिलान पांचवी, आठवीं या हाई स्कूल परीक्षा प्रमाण-पत्र से ही किया जावे।
3. पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण में मृतक कर्मचारी की विधवा से इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त कर लिया जावे कि उसका पुत्र (विवाहित/अविवाहित) पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित है एवं परिवार से अलग नहीं है।
4. उम्मीदवारों को कार्य पर उपस्थित होने के पूर्व जिला चिकित्सालय के सहायक चिकित्साधिकारी/अधिकृत चिकित्साधिकारी से स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
5. उम्मीदवारों के कार्य पर उपस्थित होते समय उनसे चरित्र सत्यापन प्रपत्र भरा लिया जावे तथा उनसे इस आशय का घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे की यदि चरित्र सत्यापन में उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती है।
6. उम्मीदवारों को आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्य पर उपस्थित होना अनिवार्य है अन्यथा उनकी नियुक्ति संबंधी आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।

7. उम्मीदवारों के कार्यभार ग्रहण की तिथि तत्काल इस कार्यालय को सूचित की जावे।
8. परिचारक श्रेणी-तीन (लाइन) के पद पर कार्य पर उपस्थिति स्वीकार करने के पूर्व यह ध्यान से देखा जावे कि उम्मीदवार लाइन के कार्य हेतु सक्षम है अथवा नहीं, उम्मीदवार में किसी भी तरह की विकलांगता पाये जाने की स्थिति में उसकी कार्य पर उपस्थिति स्वीकार न करते हुए प्रकरण इस कार्यालय को उचित निर्देशनार्थ प्रेषित किया जाये।
9. अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति प्राप्त उपरोक्त उम्मीदवारों के लिये यह आवश्यक होगा कि वे कार्यभार ग्रहण करते समय निम्नलिखित प्रमाण-पत्र/अभिलेख इत्यादि अपने साथ अवश्य लायें :-
- (i) जन्मतिथि एवं शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र की मूल प्रति (पांचवीं आठवीं या हाईस्कूल परीक्षा प्रमाण पत्र) प्रस्तुत करना आवश्यक है।
- (ii) जिला चिकित्सालय के सहायक चिकित्साधिकारी/अधिकृत चिकित्साधिकारी द्वारा जारी स्वास्थ्य परीक्षण प्रमाण-पत्र।
- (iii) पुत्र के अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण में उम्मीदवार को मृतक कर्मचारी की विधवा का यह शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसका वह पुत्र (विवाहित/अविवाहित) जिसे अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, पूर्णतः मृतक के परिवार पर आश्रित हैं एवं परिवार से अलग नहीं है।
- (iv) दिनांक 25.03.08 के पश्चात मृतक कर्मचारी की विधवा/पुत्र/पुत्री जिन्हें अनुकंपा नियुक्ति दी गई है, को कार्यभार ग्रहण करने के समय तहसीलदार या उससे उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा मृतक कर्मचारी के विधवा के नाम जारी आय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (v) कार्यभार ग्रहण करते समय उम्मीदवारों को यह घोषणा-पत्र देना होगा कि चरित्र सत्यापन में यदि उन्हें कंपनी की सेवा/शासकीय सेवा के लिये अयोग्य पाया जाता है, तो कंपनी द्वारा उनकी सेवायें बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त की जा सकती हैं।
- पैरा 2 से 8 तक संबंधित कार्यालय प्रमुख के लिये जिनके कार्यालय में नियुक्ति की जा रही है।
- पैरा 9 नियुक्ति प्राप्त उम्मीदवार के लिए।

संलग्न:- यथोपरि (संबंधित कार्यालयों के लिए
जहां पदस्थ किया जाता है।)


प्रबंधक (मा0सं0)-छः
छ0रा0वि0हो0कं0मर्या0, रायपुर

३